[2019] 13 एस.सी.आर. 1098

मिस एक्स वाई जेड

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य
(आपराधिक अपील संख्या 1619/2019) 25 अक्टूबर, 2019
[उदय उमेश ललित, इंदु मल्होत्रा और आर.सुभाष रेड्डी]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 482–अपीलकर्ता–सूचनाकर्ता प्रतिपक्षी संख्या 2 जो कि कम्पनी का प्रबंधक निदेशक था, की निजी सहायक थी। अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि जब वह ठीक नहीं थी तब प्रतिपक्षी संख्या 2 उसके आवास पर आने लगे और जब वह नींद में थी, उस समय उसने उसकी अनुचित तस्वीरें लीं और नौकरी से हटाने और उसकी तस्वीरें प्रकाशित करने की धमकी देते हुए उसके साथ बलात्कार किया – आगे आरोप लगाया गया कि प्रतिपक्षी संख्या 2 को जब पता चला कि अपीलकर्ता की शादी तय हो गई है, तब उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी और उसे सूचित किया कि अपीलकर्ता अच्छे चरित्र की नहीं है उसके और अन्य लड़कों के साथ शारीरिक संबंध थे – प्रतिपक्षी संख्या 2 ने कथित तौर पर उसे अपीलकर्ता की नग्न / अनुचित तस्वीरें भी भेजीं – कथित अपराध के लिए प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध मामला आईपीसी 376, 499 और 506(2) के अंतर्गत दर्ज किया गया – उच्च न्यायालय ने प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध कार्यवाही को समाप्त कर दिया – अपील पर, माना–उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार से परे कार्य किया है – अन्वेषण एजेंसी द्वारा अन्वेषण पूरी होने से पहले ही उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार किया और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के आधार पर, आगे की अन्वेषण स्थगित कर दी गई–अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए चाहे प्रतिपक्षी संख्या 2 हो, अपीलकर्ता की अनुचित तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल किया है या नहीं और इसके अलावा प्रतिपक्षी संख्या 2 ने उस व्यक्ति को कॉल करके हस्तक्षेप करना जारी रखा है जिसके साथ अपीलकर्ता की शादी तय हुई थी या नहीं, यह अन्वेषण का विषय है – शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए, उच्च न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार करते समय उच्च न्यायालय को अनुचित जांच नहीं करनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय पक्षों के बीच हुए समझौते से प्रभावित होकर अन्वेषण की और पाया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध के लिए अपीलकर्ता ने प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ सहमति व्यक्त की थी।

–जबकि अपीलकर्ता का आरोप है कि ऐसा दस्तावेज़ धमकी और दबाव के अंतर्गत प्राप्त किया गया है, यह अन्वेषण का विषय है – विवादित आदेश को निरस्त कर दिया गया – प्रतिपक्षी संख्या 2 को अन्वेषण में सहयोग करना होगा – तब तक उसके विरुद्ध कोई

दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी – दंड संहिता, 1860 – एसएस. 376, 499 और 506(2) साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 114 – ए

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 114ए – बलात्कार के लिए कुछ अभियोजन में सहमति का अभाव – उपधारित किया गया – माना गया जहां अभियुक्त द्वारा यौन संबंध साबित हो गया है और प्रश्न यह है कि क्या यह कथित महिला की सहमति के बिना था जिसके साथ बलात्कार हुआ है, और ऐसी महिला अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी, तो न्यायालय यह मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए
माना: 1. उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त अपने क्षेत्राधिकार के दायरे को पार कर लिया और कार्यवाही को निरस्त कर दिया। अन्वेषण एजेंसी द्वारा अन्वेषण पूरी होने से पहले ही, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार किया और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के आधार पर आगे की अन्वेषण रोक दी गई। अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, क्या प्रतिपक्षी संख्या 2 ने अपीलकर्ता की अनुचित तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल किया है या नहीं, और इसके अलावा प्रतिपक्षी संख्या 2 ने 'एसएम' को कॉल करके हस्तक्षेप करना जारी रखा है या नहीं, यह अन्वेषण का विषय है। शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए, उच्च न्यायालय को धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार करते समय अनुचित जांच नहीं करनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय पक्षों के बीच हुए समझौते से प्रभावित होकर यह निष्कर्ष दिया गया कि अपीलकर्ता का प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ शारीरिक संबंध सहमति से बना था, जबकि अपीलकर्ता का आरोप है कि ऐसा दस्तावेज़ धमकी व दबाव के अंतर्गत प्राप्त किया गया था तो यह अन्वेषण का विषय है। इसके अलावा, 'एसएम' को कॉल करके प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा हस्तक्षेप करने और आगे हस्तक्षेप करने की अपीलकर्ता की शिकायत भी अन्वेषण का विषय है। शिकायत की सामग्री और प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को निरस्त करने में त्रुटि की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114–ए, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 13 एस.सी.आर.

बलात्कार के सम्बंध में कुछ अभियोजन की सहमति के अभाव की धारणा से संबंधित है। उपरोक्त धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि, जहां अभियुक्त द्वारा यौन संबंध साबित होता है और प्रश्न यह है कि क्या यह उस महिला की सहमति के बिना था जिसके साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ है और ऐसी महिला ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा है कि वह सहमति नहीं दी, न्यायालय यह मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी। किसी दिए गए मामले में धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जाना है या नहीं, यह शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखे गये साक्ष्य पर निर्भर करता है। मामले को देखते हुए, यह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने और अन्वेषण एजेंसी को कानून के अनुसार आगे की अन्वेषण के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देने का एक उपयुक्त मामला है। शिकायत के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है और यह कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए अन्वेषण एजेंसी और सक्षम न्यायालय के लिए खुला है। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रतिपक्षी संख्या 2 को दिनांक 18–11–2019 को सुबह 11.00 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष उपस्थित होना होगा और अन्वेषण में सहयोग करना

होगा। तब तक उसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। [पैरा 13–15] [1104–डी–एच: 1105–ए–एफ]

हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल एवं अन्य। एआईआर 1992 एससी
604 [1990] 3 पूरक। एससीआर 259; प्रमोद सूर्यभान
पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2019 ए.आई.आर.
4010–संदर्भित।
केस लॉ संदर्भ [1990] 3 पूरक। एससीआर 259 पैरा8 2019 एआईआर को संदर्भित करता है 4010 पैरा 14 को संदर्भित किया गया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या.1619/2019

अहमदाबाद के विशेष आपराधिक आवेदन (रद्दीकरण) संख्या 9897/2017 के निर्णय और आदेश दिनांकित 13.12.2018 से।
अपीलकर्ता की ओर से अमित आनंद तिवारी, सुश्री शकुन शर्मा, जीत पी. भट्ट, शाश्वत सिंह, सलाहकार।
उत्तरदाताओं की ओर से मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिरुद्ध पी मायी, सुश्री दीपनविता प्रियंका, सौरभ किरपाल, सुजय कांतावाला, पीतांबर आर. अभिचंदानी, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, अधिवक्ता। मिस XYZ बनाम गुजरात राज्य और अन्य

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

आर.सुभाष रेड्डी. जे।

1. अपील की अनुमति प्रदान की गयी।

2. यह अपील प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष आर/विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 9897/2017 में दायर की गई है। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने महिला पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद शहर, जिला अहमदाबाद में दर्ज एफआईआर संख्या सीआर–1–60–2017 को निरस्त करके आर/विशेष आपराधिक आवेदन की अनुमति दी है।

3. यहां अपीलकर्ता, महिला पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद शहर में एफआईआर नंबर सीआर–1– 60–2017 में दर्ज अपराध में मुखबिर है। उनकी शिकायत पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376, 499 और 506(2) के अंतर्गत दंडनीय कथित अपराध के लिए प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध उपरोक्त अपराध दर्ज किया गया है।

4. शिकायत निम्नलिखित कथनों के साथ दर्ज की गई थी:
वह राजस्थान राज्य के जोधपुर की स्थायी निवासी है और रोजगार के लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर में आई थी और उसकी मुलाकात प्रतिपक्षी संख्या 2 से हुई, जो जीएस.पी.

का प्रबंध निदेशक है। फसल विज्ञान प्रा. लिमिटेड साक्षात्कार आयोजित करने के बाद उसे नवंबर, 2014 के महीने में उसके निजी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। जब अपीलकर्ता की तबीयत ठीक नहीं थी, तो प्रतिपक्षी संख्या 2 ने उसके आवास पर जाना शुरू कर दिया और जब वह सो रही थी, प्रतिपक्षी संख्या 2 ने अनुचित तस्वीरें खींच लीं जब वह कार्यालय में उपस्थित होती थी, तो प्रतिपक्षी संख्या 2 उसकी तस्वीरें दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जब वह कंपनी के काम से ओधव, कठवाड़ा और नंदेसरी, बड़ौदा जाती थी, तब प्रतिपक्षी संख्या 2 अपीलकर्ता के अकेले होने का फायदा उठाता था और उसकी तस्वीरें वायरल करने और उसे नौकरी से निकालने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। चूंकि अपीलकर्ता की वित्तीय स्थिति स्थिर नहीं थी, इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई। दिसंबर, 2014 में प्रतिपक्षी संख्या 2 किसी काम के लिए अपीलकर्ता को बड़ौदा ले गए, उसकी नग्न तस्वीरें प्रकाशित करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। अहमदाबाद वापस आने के बाद भी, प्रतिपक्षी संख्या 2 कुछ काम का बहाना बनाकर पुनः उसको बड़ौदा ले गया और इसी तरह धमकाकर दुष्कर्म किया। प्रतिपक्षी संख्या 2 अहमदाबाद में उसके किराए के आवास में भी जाता था और नौकरी से हटाने और उसकी तस्वीरें प्रकाशित करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता था। प्रतिपक्षी संख्या 2 ने अगस्त, 2015 में अदानी प्रथम में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। जब अपीलकर्ता उक्त अपार्टमेंट में रह रहा था, तब प्रतिपक्षी संख्या 2 उस अपार्टमेंट में आता था और यौन संबंधों की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 13 एस.सी.आर.

चूंकि वह प्रतिपक्षी संख्या 2 के शोषण से तंग आ गई थी, इसलिए उसने जून, 2016 में किराये का आवास खाली कर दिया। प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी जान को गंभीर खतरा होने के कारण, वह जोधपुर चली गई और उसकी शादी मिस्टर शौकिन नामक व्यक्ति से तय हो गई। मलिक जो दिसंबर, 2016 के महीने में बड़ी सदरी, राजस्थान का निवासी है। प्रतिपक्षी संख्या 2 को शौकीन मलिक के साथ अपीलकर्ता की शादी के बारे में पता चला, उसने टेलीफोन पर श्री शौकिन मलिक से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि अपीलकर्ता उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसके उसके और अन्य लड़कों के साथ शारीरिक संबंध थे। चूंकि श्री शौकिन मलिक ने प्रतिपक्षी संख्या 2 से मिलने से इनकार कर दिया, प्रतिपक्षी संख्या 2 ने शौकिन मलिक के निवास पर एक लिफाफा भेजा जिसमें उसकी नग्न/अनुचित तस्वीरें थीं।

5. शिकायत में लगाए गए उपरोक्त आरोपों के मद्देनजर, कथित अपराध के लिए प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 499 और 506 (2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

6. जब शिकायत का अन्वेषण चल रहा था, तो प्रतिपक्षी संख्या 2 ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष आर/विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 9897/2017 दायर किया और एफआईआर को रद्द करने और अपराध के पंजीकरण के लिए आगे के परिणामी कदम उठाने की मांग की।

7. मुख्य रूप से, यह उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिपक्षी संख्या 2 का मामला था कि अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी और यह केवल पार्टियों के बीच सहमति से यौन संबंध था। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, जुलाई, 2016 के महीने में उनके बीच एक समझौता हुआ था। एक लिखित समझौता भी किया गया था और पार्टियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते में यह कहा गया है पक्षकारों के बीच विवाद सुलझ गया है और प्रतिपक्षी संख्या 2 ने कथित तौर पर अपीलकर्ता को एक बड़ी राशि का भुगतान किया है। इसके अलावा प्रतिपक्षी संख्या 2 का मामला यह है कि पक्षकारों के पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य जो भी सामग्री है उसे नष्ट करने पर सहमति हुई है। प्रतिपक्षी संख्या 2 का मामला था कि प्रतिपक्षी 2–4 द्वारा राजस्थान के श्री शौकिन मलिक को की गई कथित टेलीफोन कॉल पूरी तरह से झूठी और निराधार थी। यह दलील देते हुए कि दर्ज की गई शिकायत और की गई अन्वेषण प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है, प्रतिपक्षी संख्या 2 ने कार्यवाही रद्द करने की मांग की।

8. पक्षकारों के विरोधाभाषी तर्कों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का हवाला देकर, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि प्रतिपक्षी संख्या 2 का मामला अपवाद 5 और 7 के अंतर्गत आते हैं जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले में दिया गया है और इसके अलावा एफआईआर में उल्लिखित आरोप और तथ्य असंभव प्रतीत होते हैं एवं विद्वेषपूर्ण अभियोजन भी हैं, प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध दर्ज कार्यवाही को निरस्त कर दिया।

9. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित आनंद तिवारी, राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीपानविता प्रियंका और प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी को सुना है।

10 मुख्य रूप से, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के दायरे को पार करके आक्षेपित आदेश पारित किया है। प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए, उच्च न्यायालय को अन्वेषण को बाधित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाने और इस तरह के बयान पर भरोसा करते हुए एफआईआर को रद्द करने में गलती की है। यह कहा गया है कि कथित समझौता प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा धमकी और जबरदस्ती की आड़ में किया गया था, और अपीलकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से नहीं किया है। यह कहा गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने उसके द्वारा ली गई तस्वीरों का दुरुपयोग किया और अपीलकर्ता से यौन संबंध बनाने और उसे ब्लैकमेल करने के लिए बार–बार इसका इस्तेमाल किया। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए, अपीलकर्ता का शोषण किया और उसके निवास पर और प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा सुरक्षित अपार्टमेंट में और बड़ौदा के दौरे के दौरान भी उसके साथ बलात्कार किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार करते समय उच्च न्यायालय के लिए स्थायी अन्वेषण करना संभव नहीं है।

11. प्रतिपक्षी संख्या 1–राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अन्वेषण अधिकारी ने मोबाइल फोन के सेवा प्रदाताओं से डेटा सुरक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन वह उपलब्ध नहीं कराया गया। इस बीच, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के मद्देनजर आगे की अन्वेषण नहीं की गई।

12. श्री मुकुल रोहतगी को पता चला कि प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने, पक्षों के बीच हुए समझौता दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री के माध्यम से हमें बताया है कि बलात्कार के आरोप का कोई आधार नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 2, और यह केवल पक्षों के बीच सहमति से किया गया यौन संबंध था। "AIR 1992 SC 604 है

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 13 एस.सी.आर.

प्रस्तुत किया गया कि लगाए गए आरोपों के संबंध में, पक्षकार एक समझौते पर पहुंचे और जुलाई, 2016 के महीने में एक लिखित समझौता किया। चूंकि अपीलकर्ता उक्त दस्तावेजों पर विवाद नहीं कर रहा है, इसलिए बलात्कार का आरोप झूठा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दोनों पक्ष कई वर्षों से सहमति से यौन संबंध बना रहे थे और समझौते के बाद प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध बलात्कार करने का कोई आरोप नहीं होने के कारण, ऐसे आरोपों का कोई आधार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता को बदनाम करने के लिए शौकीन मलिक के साथ उनकी टेलीफोन पर बातचीत के बारे में प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि समझौते के अनुसार प्रतिपक्षी संख्या 2 से बड़ी धनराशि प्राप्त किया गया है। , अपीलकर्ता द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 2 को परेशान करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज की गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के 21 अगस्त, 2019 के हालिया फैसले पर भी भरोसा किया जो आपराधिक अपील संख्या 1165/2019 में पारित हुआ था, जिसमें न्यायालय द्वारा इसी तरह की परिस्थितियों में एफआईआर को निरस्त कर दिया गया था।

13. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और आक्षेपित आदेश और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री को देखने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त अपने क्षेत्राधिकार के दायरे को पार कर लिया है और कार्यवाही को निरस्त कर दिया है। अन्वेषण एजेंसी द्वारा अन्वेषण पूरा होने से पहले ही, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार किया, और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के आधार पर, अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में आगे की अन्वेषण रोक दिया गया, चाहे प्रतिपक्षी संख्या 2 ने अपीलकर्ता की अनुचित तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल किया है या नहीं और इसके अलावा प्रतिपक्षी संख्या 2 ने शौकिन मलिक को बुलाकर हस्तक्षेप करना जारी रखा है या नहीं, यह अन्वेषण का विषय है। शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार करते अनुचित जांच नहीं करनी चाहिए थी। हालाँकि विद्वान अधिवक्ताओं ने विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं, क्योंकि हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा कोई भी टिप्पणी या निष्कर्ष, अन्वेषण और परीक्षण को प्रभावित करेगा, हम ऐसे मुद्दों पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुचने से बचते हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय पक्षों के बीच हुए समझौते से प्रभावित हो गया

है, और यह निष्कर्ष दिया गया कि अपीलकर्ता का प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ शारीरिक संबंध उसकी सहमति से किया गया था जबकि अपीलकर्ता का यह आरोप है कि ऐसा दस्तावेज़ धमकी और दबाव के अंतर्गत प्राप्त किया गया है, तो यह अन्वेषण का विषय है। इसके अलावा, अपीलकर्ता की शिकायत पर प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा हस्तक्षेप करने के सम्बंध में शौकीन मलिक को बुलाकर आगे अन्वेषण का विषय है। मिस एक्स वाई जेड बनाम गुजरात राज्य व अन्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

शिकायत की सामग्री और प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों को देखकर, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को निरस्त करने में त्रुटि की है। सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे ध्यान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114–ए का प्राविधान लाया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114–ए सहमति की अनुपस्थिति के बारे में धारणा से संबंधित है। बलात्कार के लिए कुछ अभियोजन में, उपरोक्त धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि, जहां अभियुक्त द्वारा यौन संबंध साबित होता है और प्रश्न यह है कि क्या यह उस महिला की सहमति के बिना था जिसके साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ है, और ऐसी महिला ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा है कि वह सहमति नहीं दी, न्यायालय यह मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी।

14. हालांकि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने आपराधिक अपील संख्या 1165/2019 में इस न्यायालय के दिनांक 21 अगस्त 2019 के निर्णय पर ध्यानाकर्षित किया परन्तु हमारा विचार है कि उक्त निर्णय उनके मामले का समर्थन करने में कोई सहायता नहीं करेगा। किसी दिए गए मामले में धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जाना है या नहीं, यह शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर निर्भर करता है। मामले को देखते हुए, हमारा विचार है कि यह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने और अन्वेषण एजेंसी को कानून के अनुसार आगे की अन्वेषण के लिए अनुमति देने का एक उपयुक्त मामला है। यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने शिकायत के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, और यह अन्वेषण एजेंसी और सक्षम न्यायालय के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए खुला है।

15. उपरोक्त कारणों से, इस आपराधिक अपील की अनुमति दी जाती है गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आर/विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 9897/2017 में पारित आदेश दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को निरस्त कर दिया जाता है। प्रतिपक्षी संख्या 2, दिनांक 18.11.2019 को सुबह 11.00 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष उपस्थित होगा और अन्वेषण में सहयोग करेगा तब तक उसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
दिव्या पांडे की अपील स्वीकार की गई।

Digitally signed by SHILPE RANI
Date: 2023.11.03 15:43:41 IST
Reason: Copy of supreme court judgment
Location: District and Sessions Court Raebareli